

## कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 24 ( ) लेखा-ए/अनु/निकाशि/ /11-12/१०

दिनांक 14-5-12

सचिव,  
प्रबन्ध समिति,  
पूर्व में अनुदान सहायता प्राप्त समस्त महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय:- पूर्व में अनुदानित पदों पर कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारियों का छठे वेतनमान में वेतन नियतन के संबंध में।


संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्राक 971-1041 दिनांक 19.03.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्राक के क्रम में लेख है कि कुछ संस्थाओं के द्वारा राजकीय सेवा में उपस्थित/नियुक्त कार्मिकों का छठे वेतनमान में वेतन नियतन नहीं करवाया गया है, तथा नाही निर्धारित प्रारूप में वेतन नियतन सम्बन्धित सूचना प्रेषित की गई है। जोकि विभागीय निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः जिन संस्थाओं के द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुरूप वेतन नियतन सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण नहीं करवाई गई है अथवा वेतन नियतन सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रेषित नहीं की है। उन्हें निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि दिनांक 25.05.2012 तक सम्पूर्ण कार्य कराकर अवगत करावें।

भवदीय,

  
मुख्य लेखाधिकारी  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर